राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर
एल ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 91

दिनांक : 27.02.2019

प्रश्न कर्ता का नाम : सुश्री भावना गौड़

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	पालम विधान सभा के अंतर्गत चल रही शराब की दुकानों की संख्या व इनका पूर्ण विवरण क्या है;	दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंसों का निर्गमन विधानसभावार नहीं किया जाता है । पते के आधार पर पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संभावित शराब की दुकानों की संख्या-7 है । सूची-'क' पर संलग्न है ।
ख)	क्या यह सत्य है कि जन-शिकायत के आधार पर इन सरकारी शराब की दुकानों को बंद कराया जा सकता है;	दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के अनुछेद 25 के तहत सार्वजनिक शांति बनाये रखने के लिए सक्षम अधिकारी के द्वारा दुकानों को अस्थायी तौर पर निर्धारित समय के लिए बंद किया जा सकता है। अनुछेद-25 की प्रति-'ख' पर संग्लन है। दिल्ली आबकारी नियम, 2010, के नियम 22(2) के अन्तर्गत दुकानों को जनहित में स्थानांतरित किया जा सकता है, प्रति-'ग' पर संग्लन है।
ग)	यदि हाँ, तो पूर्ण नियमों का विवरण क्या है; और	उपरोक्तानुसार ।
घ)	यदि नहीं, तो इन्हें बंद कराने के दूसरे प्रावधानों का पूर्ण विवरण क्या है?	उपरोक्तानुसार ।

रवि धवन

(रवि धवन)

(आबकारी आयुक्त)

Commissioner, Excise, Entt. & Luxury Tax
सत्यमेव जयते
Vikas Bhawan, New Delhi-2

प्रश्न संख्या ९१।

LIST OF VENDS IN PALAM AREA

सूची 'क'

1- DCCWS	01
2- DSCSC	01
3- DSIIDC	02
4- L-10	02
5- L-12	01
Total	**07**

या इसके भुगतान के लिये यथा निर्धारित किसी बन्धपत्र के निष्पादन होने तक नहीं उठाई जाएगी।

23. कुछेक व्यक्तियों को शराब बिक्री मना करना

कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसशुदा विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेण्ट पच्चीस वर्ष की आयु से कम दिखाई देने वाले किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की शराब नहीं बेचेगा या सौंपेगा चाहे उसने स्वयं या दूसरों ने पीनी हो।

24. कुछेक व्यक्तियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

कोई भी लाइसेंसधारी अपने परिसर में ईक्कीस वर्ष से कम या छूत रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की नियुक्ति या नियुक्ति किए जाने के लिए अनुमति नहीं देगा।

25. सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये दुकानें बंद रखना

उपायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी लाइसेंसधारी को लिखित में नोटिस देकर जिस दुकान में कोई शराब बेची जाती है, सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने के लिये उतने समय के लिये या जितना समय वह आवश्यक समझते हैं उतने समय के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकते हैं:

शर्त यह है कि लाइसेंस वर्ष मिलाकर कुल पन्द्रह दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी या किसी एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक दिन बन्द नहीं रहेगी:

आगे यह शर्त और है कि यदि आबकारी आयुक्त का अभिमत है कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष दुकान या सारी दुकानें किसी वर्ष में पन्द्रह दिन से अधिक अवधि या एक बार में लगातार तीन दिन से अधिक अवधि के लिए बन्द रहेंगी, तो वह अभिलेखबद्ध कारणों के आधार पर ऐसा कर सकते हैं।

अध्याय IV

आबकारी राजस्व

26. आबकारी राजस्व के सघटक एवं प्रकृति

निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आबकारी राजस्व लगाकर वसूल किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) शुल्क,

(ख) लाइसेंस शुल्क,

(ग) लेबल पंजीकरण शुल्क,

(घ) आयात तथा निर्यात शुल्क।

सूची 'ग'

(7) कितनी भी मात्रा में लाहन वर्जित है।

21. अवधि जिसके लिए लाइसेंस मंजूर किया जा सकता है

(1) जब तक कि सरकार अन्यथा आदेश न दे, लाइसेंस आम तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है।

(2) विशेष मामलों और विशेष अवसरों पर जिनका निर्धारण उपायुक्त द्वारा किया जा सकता है, शराब की बिक्री की व्यवस्था के लिए अस्थायी लाइसेंस प्रदान किया जा सकता है।

(3) अस्थायी लाइसेंस को छोड़कर सभी लाइसेंस, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया जाये, प्रदान किए जाने या नवीकरण किए जाने के बाद आने वाली 31 मार्च से प्रवृत्त किए जायेंगे।

22. किसी क्षेत्र में दुकानों की संख्या का निर्धारण

(1) शराब और भांग की दुकानों की संख्या, जिन्हें किसी क्षेत्र में लाइसेंस दिया जा सकता है, का निर्धारण सरकार द्वारा इस बात को ध्यान में रखकर किया जायेगा कि आबादी की उचित आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कितनी संख्या में ये दुकानें अनिवार्य हैं।

(2) उपायुक्त, किसी भी समय, जनहित में, आदेश जारी करके किसी लाइसेंसीकृत शराब या भांग की दुकान को एक बस्ती से दूसरी बस्ती में स्थानांतरित कर सकता है।

23. कुछ व्यक्तियों को लाइसेंस मंजूर करने पर प्रतिबंध

ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा जिन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता–

धारा-13 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त, मादक द्रव्यों की दुकान के लिए लाइसेंस निम्नांकित व्यक्तियों को जारी नहीं किया जायेगा:–

(क) ऐसा व्यक्ति जिसके पास आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या नहीं है या जिसका मूल्यांकन आयकर के लिए नहीं हुआ है;

(ख) ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली वैट अधिनियम, 2004 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है;

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिल्ली में मादक द्रव्य की बिक्री के लिए पहले लाइसेंस रहा हो और उसके आबकारी राजस्व जमा कराने में विफल रहने तथा सरकार के परवर्ती आदेश द्वारा उसे शुल्क के भुगतान से छूट न दिए जाने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया हो।